कार्यालयः जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द (राज.)

क्रमांकः 333 दिनांकः 25 नवम्बर, 2025

कार्यालय आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की अधिसूचना क्रमांक 09/ई.वी./2024 दिनांक 20.11.2024 द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में गुरूवार दिनांक 25 दिसम्बर, 2025 से बुधवार दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है जिसके क्रम में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर से प्राप्त आदेश क्रमांक 21/विविध/2025 दिनांक 06.11.2025 के अनुसार जिला एवं सेशन न्यायालय, विशिष्ट न्यायालय, पोक्सो एक्ट, अनुसुचित जाति एवं अनुसुचित जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, अपर जिला एवं सेशन न्यायालय उक्त अवधि में बंद रहेंगे। अतः दिनांक 25.12.2025 से 31.12.2025 तक शीतकालीन अवकाश की अवधि में पूरे राजसमन्द न्यायक्षेत्र के सेशन खण्ड के ऐसे आवश्यक फौजदारी व दीवानी मामलें जो जिला एवं सेशन न्यायालय, राजसमन्द, विशिष्ट न्यायालय, पोक्सो एक्ट, राजसमन्द, विशिष्ट न्यायालय, अनुसुचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) प्रकरण, राजसमन्द, अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, नाथद्वारा, अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, राजसमन्द के समक्ष पेश किये जावेंगे या लम्बित है उन्हें विधि अनुसार सुनने एवं निपटाये जाने हेतु निम्न न्यायिक अधिकारी को अधिकृत किया जाता है :–

क्र.सं.	शीतकालीन अवकाश अवधि हेतु अधिकृत अधिकारी का नाम	अवधि (दिनांक)
1.	श्रीमती अनिता शर्मा वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द	26.12.2025
2.	सुश्री अनुपमा भटनागर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रेलमगरा	29.12.2025 से 31.12.2025

उक्त शीतकालीन अवकाश अवधि में विशिष्ट न्यायालय, एन.डी.पी.एस., सी.बी.आई. केसेज, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रकरण एवं पोक्सो एक्ट प्रकरण न्यायालय भी बंद रहेंगे लेकिन इन विशिष्ट न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण दिनांक 25.12.2025 से 31.12.2025 तक शीतकालीन अवकाश अवधि में कम से कम दो बार न्यायालयों में आवश्यक कार्य हेतु बैठेंगे।

उक्त शीतकालीन अवकाश की अवधि में आने वाले राजपत्रित व सार्वजनिक अवकाशों में उक्त अधिकृत न्यायालय भी बंद रहेगा। उपरोक्त अधिकृत न्यायिक अधिकारी की बैठक का स्थान राजसमन्द मुख्यालय पर **वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द** का न्यायालय रहेगा। अतः वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के कर्मचारीगण (आवश्यकतानुसार रीडर, स्टेनो, लिपिक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अधिकतम चार) दिनांक 25.12.2025 से 31.12.2025 तक शीतकालीन अवकाशों का उपभोग नहीं करेंगे। शीतकालीन अवकाश की अवधि में कार्य करने वाले कर्मचारियों को अगले कलेण्डर वर्ष में नियमानुसार क्षतिपूर्ति आकस्मिक अवकाश देय होंगे।

—Sd—
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
राजसमन्द

क्रमांक स्था0/2025/4104 दिनांक:-25, नवम्बर, 2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैं :-

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
2. न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, राजसमन्द
3. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, राजसमंद
4. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (पोक्सो अधिनियम), राजसमंद
5. विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राजसमंद
6. जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द
7. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय एस.सी./एस.टी.(अ.नि.), राजसमंद
8. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नाथद्वारा/राजसमन्द
9. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमन्द
10. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द
11. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीम/देवगढ/नाथद्वारा/राजसमंद/रेलमगरा
12. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, राजसमन्द
13. न्यायिक मजिस्ट्रेट, आमेट/कुम्भलगढ़/नाथद्वारा/रेलमगरा/राजसमन्द
14. अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा
15. विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण), राजसमन्द/नाथद्वारा
16. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, रेलमगरा

17 श्रीमती अनिता शर्मा, अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द

18 सुश्री अनुपमा भटनागर, अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रेलमगरा

19. सहायक निदेशक, अभियोजन कार्यालय, राजसमन्द
20. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, राजसमन्द
21. अध्यक्ष, समस्त बार एसोसिएशन, राजसमन्द न्यायक्षेत्र
22. प्रभारी अधि. (लेखा शाखा)/प्रभारी अधि. (प्रतिलिपि शाखा), न्यायालय हाजा
23. वरिष्ठ रीडर/सेशन लिपिक/दीवानी लिपिक, न्यायालय हाजा
24. सिस्टम ऑफिसर, न्यायालय हाजा को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
25. कार्यालय प्रति

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
राजसमन्द